: British Party System (ब्रिटिश दल प्रणाली)

👉 जिस प्रकार ब्रिटिश संसद को विश्व की समस्त संसद की जननी कहा जाता है उसी प्रकार ब्रिटिश दल प्रणाली समस्त दलीय प्रणाली की जननी है

👉 जेनिंग्स के मुताबिक ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों पर ही समाप्त होता है

👉 ब्रिटेन में मुख्य रूप से दो दल है एक सरकार बनाता है तथा दूसरा विपक्ष में बैठता है

👉 ब्रिटेन में दलों का अनुशासन कठोर होता है कोई सदस्य दल के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता तथा आसानी से दलबदल भी नहीं होता

👉 ब्रिटेन में संगठन बड़ा कठोर नियंत्रित और केंद्रित है ऊपर से नीचे तक लिंक बना रहता है तथा दल की निम्न इकाइयों पर नियंत्रण बना रहता है

👉 वर्तमान समय में इंग्लैंड में तीन प्रमुख राजनीतिक दल है अनुदार दल, उधार दल, श्रमिक दल

👉 प्रारंभ में अनुदार दल को टोरी दल कहा जाता था आजकल इसे अनुदार या रूढ़ीवादी दल कहते हैं

👉 अनुदार दल परंपरागत समस्याओं प्रथाओं और विचारधाराओं की रक्षा करने के पक्ष में है यह धीरे-धीरे परिवर्तन चाहता है

👉 अनुदार दल को धनिको जमींदारों पादरियों व्यापारियों डाक्टरों प्रोफेसरों आदि का समर्थन प्राप्त है

👉 उदार दल बहुत पुराना है पहले इसको ह्विग पार्टी कहा जाता था परंतु 1857 में यह लिबरल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई

👉 उदार दल का प्रभाव अब घट गया है परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह दल समाप्त हो ही जाए यह दल प्रारंभ से ही अनुदार दल का विरोधी रहा है

👉 उदारवादी दल जहां एक ओर पूंजीवादी का विरोधी है वहीं दूसरी ओर राजकीय समाजवाद के अति को भी पसंद नहीं करता

👉 उदारवादी दल के समर्थकों में अधिकांशतः साधारण आय वाले व्यक्ति और कुछ धनी व निर्धन व्यक्ति भी हैं

👉 श्रमिक दल का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ है यह ट्रेड यूनियन आंदोलन का परिणाम था

👉 श्रमिक दल ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है यह उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है

👉 श्रमिक दल लॉर्ड सभा को समाप्त करना चाहता है तथा ब्रिटेन के पूंजीवादी राज्य को समाजवादी बनाना चाहता है

👉 श्रमिक दल विश्व शांति का समर्थक है तथा शोषण का विरोध करता है

👉 वर्तमान में इन तीन दलों का संसद प्रतिनिधित्व है परंतु समय समय पर अन्य दल भी अस्तित्व में रहे हैं जैसे

* 1920-48 के मध्य में साम्यवादी दल के सदस्यों की संख्या 10 से 50 हजार तक रही

* 1945 के चुनाव में दो प्रतिनिधि कॉमन सभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे

* द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कॉमन वेल्थ पार्टी भी अस्तित्व में आई

* आज भी स्वतंत्र श्रमिक दल चुनाव के समय अपने उम्मीदवार खड़े करता है

* 1997 के चुनाव में अन्य छोटे दलों को 29 सीटें प्राप्त हुई

British Justice System (ब्रिटिश न्याय व्यवस्था)

👉 ब्रिटिश न्याय व्यवस्था क्रमिक विकास का परिणाम है आज भी वहां की न्याय प्रणाली पर सामंती युग की छाप देखने को मिलती है

👉 यहां के अधिकांश कानून का स्रोत सामाजिक प्रथाएं हैं

👉 इंग्लैंड अपने स्वस्थ्य कानून व्यवस्था तथा उत्तम न्याय प्रणाली के लिए विश्व विख्यात है

👉 इंग्लैंड में विधि का शासन है विधि अथवा कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है

👉 इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी अथवा साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय की व्यवस्था की गई है

👉 ब्रिटिश न्यायपालिका अपने कार्य में स्वतंत्र है यहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर सम्राट द्वारा किया जाता है

👉 किसी भी न्यायाधीश को केवल तब ही हटाया जा सकता है जबकि संसद के दोनों सदन इस संबंध में महाभियोग के अंतर्गत सिफारिश करें

👉 न्यायाधीश को पर्याप्त वेतन दिया जाता है ताकि वे रिश्वत के लोभ से बचे रहें

👉 ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है जूरी प्रथा इसका अर्थ है न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों को शामिल करना

👉 ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती

👉 ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि वह कानून का अधिकांश भाग संहिताबध्द नहीं है

👉 1873 से पूर्व ब्रिटिश न्यायालयों का संगठन अत्याधिक दोषपूर्ण था इसमें सुधार लाने के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई

👉 इंग्लैंड में दो प्रकार के न्यायालय हैं दीवानी तथा फौजदारी इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति है

👉 दीवानी न्यायालयों का संबंध एक नागरिक तथा दूसरे नागरिक के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों से होता है उदाहरण संपति मानहानि अनुबंध इत्यादि

👉 फौजदारी न्यायालयों में वे विवाद लाये जाते हैं जिनका संबंध चोरी डकैती हत्या इत्यादि से होता है इसमें किसी न किसी विधि के अतिक्रमण का प्रश्न निहित होता है

3 new messages
vishaljora23@gmail.com
11:08 AM
11

👉 दीवानी न्यायालय की श्रेणी में सबसे छोटा स्थान का काउंटी न्यायालय का है इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1742 में की गई थी

👉 काउंटी न्यायालय के ऊपर न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके दो भागे अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय

👉 अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अंतिम अपील लॉर्ड सभा में की जा सकती है यह ब्रिटिश साम्राज्य का दीवानी एवं फौजदारी विवादों के लिए अंतिम न्यायालय हैं

👉 मजिस्ट्रेट तथा जस्टिस ऑफ पीस का न्यायालय फौजदारी न्यायालय की श्रेणी में सबसे छोटा न्यायालय है

👉 दो या अधिक जस्टिस ऑफ पीस संगठित होकर पैठी सेशन्स न्यायालय का निर्माण करते हैं

👉 न्यायिक संगठन को अधिक तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से रॉयल कमीशन के सुझाव पर 1971 में न्यायालय अधिनियम द्वारा एक नए प्रकार कार्यालय क्राउन कोर्ट की स्थापना की गई

👉 फौजदारी अपील का न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक विभाग होता है इसमें कम से कम 8 न्यायाधीश होते हैं

[26/03, 4:50 PM] Dr. Sudesh Bansal: ब्रिटिश संविधान और इसकी विशेषताएं | British Constitution and Its Features

3 new messages
vishaljora23@gmail.com
11:08 AM
11

ब्रिटेन का वर्तमान संविधान वस्तुतः यूनाइट किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संविधान है । यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड 1921 में अस्तित्व में आया । इसके पूर्व 1535 में इंग्लैंड में वेल्स शामिल हुआ । 1707 में जब स्काटलैंड शामिल हुआ तो इंग्लैंड, वेल्स और स्काटलैंड को स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की संयुक्त संज्ञा दी गयी । 1921 में उत्तरी आयरलैंड के साथ समझौता हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त राज्य का उदय हुआ । वर्तमान संविधान इसी संयुक्त राज्य का संविधान है । लेकिन यह संविधान काफी प्राचीन है और विश्व का सबसे पुराना, पहला और परंपरागत संविधान है ।

ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं (Features of British Constitution):

ब्रिटिश संविधान को "संविधानों की जननी" कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराने इस संविधान ने बाद के सभी संविधानों के लिए मार्गदर्शक का काम किया । वेध राजतंत्र वादी ब्रिटेन में ही आधुनिक विश्व की पहली प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आयी । कुलीनवाद से प्रेरित रहे ब्रिटेन में राजतंत्र के रहते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रतिनिधिक शासन का विकास हुआ और अलिखित ब्रिटिश संविधान पर राजतंत्र, कुलीनतंत्र और जनतंत्र तीनों का असर आया ।

ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को इन संदर्भों में ही निम्नानुसार समझा जा सकता हैं:

1. अलिखित संविधान:

विश्व के विभिन्न प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित है, ब्रिटिश संविधान अलिखित है । यही नहीं वहां सरकारी काम काज के नियम आदि का भी अधिकांश भाग अलिखित है । वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का विकास क्रमिक रूप से अन्य संस्थाओं के विकास के साथ हुआ और उसे कभी लेखबद्ध नहीं किया गया क्योंकि उसकी जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई ।इसके पीछे मुख्य कारण उनकी व्यवहारिक और स्पष्ट सोच है । विधि के शासन का प्रतीक ब्रिटन बिना लिखित संविधान के इस प्रतीक को बनाये हुए है, यह विलक्षण विशेषता है । लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लिखित न्यायिक निर्णयों, संसदीय अधिनियमों और शासनादेशों के रूप में संविधान का अंशतः लेखीकरण भी हो गया है । ऐसा संविधान को लिखित स्वरूप देने के उद्देश्य से नहीं हुआ है । यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित दस्तावेज ही है ।

2. परंपरागत रूप से क्रमिक विकास:

ब्रिटिश संविधान कोई एक दिन या एक वर्ष में एक स्थान पर बैठकर नहीं बनाया गया । इसका विकास पाँचवीं सदी से लेकर आज तक निरंतर रूप से हुआ और हो रहा है । इस संविधान के अधिकांश आधारभूत सिद्धांत या तर्क परंपराओं पर आधारित हैं ।

3 new messages
vishaljora23@gmail.com
11:08 AM
11

जे.एस.मिल ने इन परंपराओं को "संविधान के अलिखित नीतिवचन" की संज्ञा दी है। यद्यपि ये परंपराएं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (लागू करने की बाध्यता) नहीं है तथापि वहाँ की शासन प्रणाली में मानवीय और पालनीय है। उनका महत्व इसी बात में है कि उनके बिना ब्रिटिश राज व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती।

जैसे:

(1) ताज का मंत्रिमंडल के परामर्श से काम करना।

(2) जन प्रतिनिधि सदन (हाउस आफ कामंस) के बहुमतधारी दल के नेता को ताज द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करना।

(3) जन प्रतिनिधि सदन के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक और व्यैक्तिक उत्तरदायित्व।

(4) संसदीय अधिनियमों को ताज द्वारा स्वीकृति।

(5) प्रधानमंत्री की सलाह पर जनप्रतिनिधि सदन की ताज द्वारा समाप्ति।

(6) शासन का जनता के प्रति जवाबदेह होना। अपनी पुस्तक "थॉट्स ऑन द कंस्टीट्यूशन" में एल. एस. एमरी कहते हैं कि "ब्रिटिश संविधान कानून, पूर्ववर्तिता तथा परंपरा का मिश्रण है।"

3. सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर:

ब्रिटेन में संविधान के अलिखित सिद्धांत प्रचलित हैं लेकिन व्यवहार में कुछ भिन्नताएं नजर आती हैं।

जैसे:

(i) ब्रिटेन विधि के शासन को अंतिम मानता है लेकिन वहां प्रशासनिक विधि का प्रचलन निरंतर बड़ रहा है।

(ii) वहाँ सिद्धांततः संसदीय प्रजातंत्र है लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका निर्वाचित नहीं वंशानुगत है ताज ।

मुनरो के अनुसार- "ब्रिटिश संविधान की एक अद्‌भुत विशेषता यह है कि यह जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है, वैसा दिखता नहीं ।"

4. संसदीय प्रजातंत्र:

प्रजातंत्र का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन की देन है ।

ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में:

(i) दोहरी कार्यपालिका है- ताज के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के रूप में वास्तविक कार्यपालिका । ताज राज्य का प्रमुख है जबकि मंत्रिपरिषद सरकार की प्रमुख है ।

(ii) यहां विधायिका से सरकार (मंत्रिपरिषद) निकलती है अर्थात मंत्रिपरिषद और विधायिका में सजातीय संबंध हैं ।

(iii) जनप्रतिनिधि सदन (हाउस ऑफ कामंस) में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है । और सरकार इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होती है । यह उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का सामूहिक और मंत्रियों का व्यैक्तिक दोनों प्रकार का होता है ।

(iv) प्रधानमंत्री की सलाह पर ताज (राजा या रानी जो भी हो) निम्न सदन को भंग कर सकता है ।

(v) ब्रिटेन में विशिष्ट किस्म का गणतंत्र है । क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में वैध राजतंत्र मौजूद है । ताज का चुनाव नहीं होता और वह वंशानुगत पद है । ताज जिस व्यक्ति (उत्तराधिकारी) के सर पर रख दिया जाता है, वह राजा (या रानी) बन जाता है । जान आग इसलिये इस "मुकुटधारी" गणतंत्र कहते हैं ।

5. संसदीय सर्वोच्चता:

ब्रिटिश राजव्यवस्था का आधार है- संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत ।

इससे आशय है कि:

(i) संसद को कोई भी कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार है । डे लोल्मे कहते हैं- "ब्रिटिश संसद किसी औरत को आदमी और आदमी को औरत से बदलने के सिवा कुछ भी कर सकती है ।"

(ii) ब्रिटिश संसद एक ही सामान्य प्रक्रिया से सामान्य या विशिष्ट या संवैधानिक कानून बनाती है ।

(iii) ब्रिटिश कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

(iv) ताज को संसदीय कानूनों पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं । बेजहॉट लिखते हैं- "यदि संसद के दोनों सदन उसके (सम्राट) मृत्यु-आदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करें तो हमें उस पर भी हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे ।"

6. विधि का सामन:

ब्रिटेन विधि के शासन के लिये विश्व विख्यात है क्योंकि विधि के शासन की न सिर्फ यहीं से शुरूआत हुई अपितु अपने श्रेष्ठतम अर्थ में वह ब्रिटेन में ही लागू है । विधि के शासन का अर्थ है – सामान्य कानून की सर्वोच्चता ।

डायसी ने "दि ला ऑफ कॉस्टीट्यूशन" (1885) में विधि के शासन के तीन अर्थ बताये हैं:

(i) सामान्य कानून की सर्वोच्चता:

देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है, जिस पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रभाव नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति केवल कानून द्वारा ही शासित है ।

(ii) कानून के समक्ष समानता:

कानून के समक्ष सब व्यक्ति एक समान हैं चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हैसियत कुछ भी हो । सबके लिए एक ही कानून है ।

(iii) स्वयं संविधान कानून की देन है:

इंग्लैण्ड में नागरिक अधिकारों का स्त्रोत सामान्य कानून है जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू है । वहां विधान स्वयं ही इन निर्णयों-कानूनों के परिणामस्वरूप विकसित हुआ है ।

7. लचिलापन:

ब्रिटेन का संविधान प्रकृति में लचिला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है । वहां सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाये जाते हैं ।

8. एकात्मक संविधान:

ब्रिटिश संविधान एकहरा संविधान है । यह न सिर्फ संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के लिये एक है, अपितु यह इकहरी नागरिकता, एक ही कानून आदि को सुनिश्चित करता है ।

9. नागरिक अधिकार:

ब्रिटेन का संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करता है जैसे दैहिक स्वतंत्रता, सभा-सम्मेलन की स्वतंत्रता, शस्त्रधारण करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि ।

10. एकात्मक राज्य:

ब्रिटेन का संविधान संपूर्ण ब्रिटेन को संघ के स्थान पर "एकात्मक राज्य" घोषित करता है । इसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित मानी जाती है और वह अपनी शासन सुविधा के लिये क्षेत्रीय इकाइयां, स्थानीय सरकार आदि का गठन और विघटन कर सकती है ।

11. द्वि-दलीय राजनीतिक व्यवस्था:

ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाते हुए भी बहुदलीय के स्थान पर द्वि-दलीय व्यवस्था को अपनाया है । यहां अनुदार दल (कंजर्वेटिव पार्टी) और मजदूर दल (लेबर पार्टी) नामक दो दलों का अस्तित्व है ।

12. संविधान के पूरक अधिनियम:

ब्रिटेन में लिखित संविधान का अभाव होते हुए भी ऐसे अधिनियम हैं जो संवैधानिक महत्व रखते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस एक्ट (1679) स्टेटयूट ऑफ वेस्टमिंस्टर (1931), मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट (1937), पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट (1948) इत्यादि ।